

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक-08/3/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में श्री गुरुगोविंद सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती के शुकुराना समारोह के अवसर पर पटना नगर निगम, पटना द्वारा कराये गये विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त योजनाओं की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत कुल ₹5.56700 लाख (पाँच लाख छप्पन हजार सात सौ रु०) मात्र का सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना के पत्रांक- 616, दिनांक- 20.01.2018 द्वारा श्री गुरुगोविंद सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती के शुकुराना समारोह के अवसर पर कराये गये विभिन्न कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०-133 दिनांक-08/3/18 के आलोक में श्री गुरुगोविंद सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती के शुकुराना समारोह के अवसर पर तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित कार्यों हेतु स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹5.56700 लाख (पाँच लाख छप्पन हजार सात सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	नगर निगम, पटना	श्री गुरुगोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं समापन समारोह सुकराना के अवसर पर वार्ड सं०- 66 अंतर्गत आर०सी०सी० कभर स्लेब, वाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	2.83500	2.83500
2	नगर निगम, पटना	श्री गुरुगोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं समापन समारोह सुकराना के अवसर पर वार्ड सं०- 66 अंतर्गत कंगन घाट पर अस्थायी ब्रेडिंग, लाईटिंग का निर्माण कार्य।	0.86100	0.86100

3	श्री गुरुगोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं समापन समारोह सुकराना के अवसर पर वार्ड सं०- 53 अंतर्गत गायघाट पर अस्थायी ब्रेडिंग, लाईटिंग का निर्माण कार्य।	0.80800	0.80800
4	वार्ड सं०- 54 अंतर्गत महात्मा गाँधी सेतु पुल के पास कपड़ा फैन्सींग के साथ-साथ बॉस रेलिंग एवं चमकिला साईन बोर्ड का निर्माण कार्य।	1.06300	1.06300
योग		5.56700	5.56700

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹5.56700 लाख (पाँच लाख छप्पन हजार सात सौ रु०)

मात्र।

2. उक्त आवंटित ₹5.56700 लाख (पाँच लाख छप्पन हजार सात सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 एवं पत्रांक- 942, दिनांक- 01.09.2017 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संचारण पी०एल० खाता में किया जायेगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय, स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

6. उक्त आवंटित राशि ₹5.56700 लाख (पाँच लाख छप्पन हजार सात सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान

विपत्र कोड- 48-2217011910109, विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

07-03-18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-08/2017 134 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-08/3/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07-03-18

सरकार के विशेष सचिव।

210 210

1/8

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/विविध-21-08/2017 133 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 08/3/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में श्री गुरुगोविंद सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती के शुकराना समारोह के अवसर पर पटना नगर निगम, पटना द्वारा कराये गये विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त योजनाओं की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत कुल ₹5.56700 लाख (पाँच लाख छप्पन हजार सात सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना के पत्रांक- 616, दिनांक- 20.01.2018 द्वारा श्री गुरुगोविंद सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती के शुकराना समारोह के अवसर पर कराये गये विभिन्न कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त अनुरोध के आलोक में श्री गुरुगोविंद सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती के शुकराना समारोह के अवसर पर तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित कार्यों हेतु स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹5.56700 लाख (पाँच लाख छप्पन हजार सात सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	नगर निगम, पटना	श्री गुरुगोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं समापन समारोह सुकराना के अवसर पर वार्ड सं०- 66 अंतर्गत आर०सी०सी० कभर स्लैब, वाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	2.83500	2.83500
2		श्री गुरुगोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं समापन समारोह सुकराना के अवसर पर वार्ड सं०- 66 अंतर्गत कंगन घाट पर अस्थायी ब्रेडिंग, लाईटिंग का निर्माण कार्य।	0.86100	0.86100
3		श्री गुरुगोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं समापन समारोह सुकराना के अवसर पर वार्ड सं०- 53 अंतर्गत गायघाट पर अस्थायी ब्रेडिंग, लाईटिंग का निर्माण कार्य।	0.80800	0.80800

4	वार्ड सं०- 54 अंतर्गत महात्मा गाँधी सेतु पुल के पास कपड़ा फैन्सींग के साथ-साथ बाँस रेलिंग एवं चमकिला साईन बोर्ड का निर्माण कार्य।	1.06300	1.06300
योग		5.56700	5.56700

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹5.56700 लाख (पाँच लाख छप्पन हजार सात सौ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत ₹5.56700 लाख (पाँच लाख छप्पन हजार सात सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 एवं पत्रांक- 942, दिनांक- 01.09.2017 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जायेगा।
3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
5. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय, स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।
6. उक्त स्वीकृत राशि ₹5.56700 लाख (पाँच लाख छप्पन हजार सात सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2217011910109, विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/विविध-21-08/2017 के पृष्ठ सं०-.....20...../टि० पर दिनांक- 05-03-2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....20...../टि० पर दिनांक- 04-03-2018 को प्राप्त है।
10. इसकी सूचना प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-08/2017 133 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 08/31/18
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

